

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या 57/2018

दायर तारीख 12/06/2018

अनवान

01. रामलाल पिता नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)वादी

बनाम

01. मांगीलाल पिता नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. घनश्याम पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मनोज पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. गायत्री पुत्री लक्ष्मण पत्नि रमेश जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हाल मुकाम गोविन्द निवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. नाराणी पत्नि स्वर्गीय लक्ष्मण जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0) प्रतिवादीगण

उपरिथत :- श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 21/05/2019

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 27/12/2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा में स्थित खाता संख्या 124 पर अंकित आराजी नं0 65, 80, 82, 102, 107, 123, 124, 126, 251, 289, 315, 359, 460/82, 461/25, 464/443 कुल किता 15 रकबा 33-04 बीघा में वादी के 1/3 हिस्से का पृथक से बाई मीटस एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन करने का आदेश पारित किया गया। आदेश की पालना में तहसीलदार बिजौलियां ने उनके पत्रांक/राजस्व/2019/674 दिनांक 14.05.2019 को प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं। प्राप्त प्रस्ताव पर वकील वादी ने सहमति व्यक्त की हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	रामलाल पिता नोला धाकड़ सा.देह खातेदार	कल्याणपुरा	65/2 82/2 460/82/3 80/1 102/2 107/1 123/1 124/3 126/2 251/3 315/3 359/2 461/25/2 464/443/2	0-06 0-07 0-01 0-03 0-09 0-08 3-06 1-00 1-00 0-03 0-12 1-01 0-08 1-17		
	योग		किता 14	11-01		32.65

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि -भीलवाड़ा

02	भागीलाल पिता नौला धाकड़ सा देह खातेदार	कल्याणपुरा	65 / 1 82 / 3 460 / 82 / 2 80 / 3 102 / 3 107 / 3 123 / 3 124 / 1 126 / 1 251 / 2 315 / 1 359 / 3 461 / 25 / 1 464 / 443 / 3 289	0-07 0-06 0-01 0-03 0-09 0-08 3-06 1-00 1-00 0-02 0-13 1-00 0-08 1-17 0-02		
	योग		किता 15	11-02		30.27
	घनश्याम, मनोज पिता लक्ष्मण - गायत्री पुत्री लक्ष्मण, नाराणी बेवा लक्ष्मण धाकड़ सा देह खातेदार	कल्याणपुरा	65 / 3 82 / 1 460 / 82 / 1 80 / 2 102 / 1 107 / 2 123 / 2 124 / 2 126 / 3 251 / 1 315 / 2 359 / 1 461 / 25 / 3 464 / 443 / 1	0-06 0-07 0-01 0-03 0-08 0-08 3-06 1-00 1-00 0-02 0-12 1-01 0-08 1-18		
	योग		किता 14	11-01		32.12

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



निर्णय अंतिम दिनांक 21/05/2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Handwritten signature)

(विक्रमस पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जि - भीलवाड़ा

(Handwritten signature)

उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ जि - भीलवाड़ा